संख्या-115/2018/1055/35-3-2018-1(32)/2016

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर, 2018**

विषय गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त वेतन (ओएच-36) की पंचम किश्त रू0 34,00,000/- तथा सामान्य मद (ओएच-31) की कुल धनराशि रू0 60,00,000/- एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतन मद (ओएच-36) की स्वीकृत धनराशि रू0 44,00,000/- के समतुल्य धनराशि राज्यांश के रूप में अवमुक्त/स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-975/ले0-91/2004, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफनं0 5-11/2017/ आरआईसी दिनांक 22.03.2018 तथा पत्र संख्या-एफनं0 5-11/2017/आरआईसी दिनांक 28.02.2018, 05.03.2018 एवं पत्र संख्या-एफनं0 5-11/2017/ आरआईसी दिनांक 27.02.2018 द्वारा अवमुक्त अतिरिक्त धनराशि क्रमशः रू0 34,00,000+ 50,00,000+10,00,000 अर्थात कुल धनराशि रू0 94,00,000/- (रूपये चौरानबे लाख मात्र) व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफनं0 5-11/2018/ आरआईसी दिनांक 28.06.2018 द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को तदर्थ आधार पर प्रथम त्रैमास हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 44,00,000/-(रूपये चौवालीस लाख मात्र) अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,नई दिल्ली द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अवमुक्त कुल धनराशि रू0 94,00,000/- (रूपये चौरानबे लाख मात्र) + रू0 44,00,000/-(रूपये चौवालीस लाख मात्र) अर्थात कुल रूपये 1,38,00,000/-(रूपये एक करोड अडतीस लाख मात्र) के समतुल्य राज्यांश की धनराशि रू0 1,38,00,000/-(रूपये एक करोड अडतीस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान की मांग के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था रू0 3,08,00,000/- (रू0तीन करोड आठ लाख मात्र) से गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

2- अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो,कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में सस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5- इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।

6- उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण,महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।

7- संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

8- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार अनुमन्य/अनुमोदित मदों में ही किया जाएगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-1429/दस-2018 दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-115/2018/1055(1)/35-3-2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु पे्षित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8- सदस्य सचिव, भारतीय सामाजित विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं 10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in